भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
कार्मिक प्रभाग

विज्ञापन संख्या 02/2016-भर्ती-III

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख: 23.03.2016

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु विशेष भर्ती अभियान

"सरकार इस प्रकार के कार्य बल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई में वर्ग 'ग' अराजपत्रित पद-प्रवर श्रेणी लिपिक, तकनीशियन-बी (रिसेप्शनिस्ट) पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के ब्यौरे और पात्रता मानदंड, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं:

पद कोड : **डीआर 01**	**प्रवर श्रेणी लिपिक**
पदों की संख्या	2 – शारीरिक रूप से अशक्त (जिनका एक पैर अथवा एक बांह प्रभावित है उनके लिए रिक्ति निर्धारित है)। 2 - श्रवण अशक्तता (एचएच)
वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	वेतन बैंड- 1: ` 5200-20200 + ग्रेड वेतन : ` 2400/-, केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्ता (न्यूनतम वेतन बैंड में कुल सकल परिलब्धियां लगभग ` 28000/- प्रति माह होगी, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधन हो सकता है।)
न्यूनतम योग्यताएं	i) कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य, किसी भी क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल 50% अंकों सहित स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री। ii) वांछित योग्यताएं : क) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा एंट्री और डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान।
आयु सीमा (दिनांक 23/03/2016 को) कम से कम 18 साल	i) सामान्य अभ्यर्थी: 37 वर्ष (अधिकतम) ii) अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जन-जाति: 42 वर्ष (अधिकतम) iii) अन्य पिछड़ी जाति: 40 वर्ष (अधिकतम)
कार्यों का स्वरूप:	नियमों, विनियमों/दिशानिर्देशों एवं कार्यविधियों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को नोट प्रस्तुत करना। यथा अपेक्षित रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करना। फाइल और असिस्टेंट डायरी बनाना। लेखा एवं प्रशासन और प्रभाग में लिपिकीय कार्य।

पद कोड सं : **डीआर 02**	**तकनीशियन- बी (रिसेप्शनिस्ट)**
पदों की संख्या	2- शारीरिक रूप से अशक्त (ओएच) व्यक्तियों हेतु (जिनका एक पैर प्रभावित है उनके लिए रिक्ति निर्धारित है [ओ.एल.])।
वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	वेतन बैंड - 1: ` 5200-20200 + ग्रेड वेतन `2000/-, केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्ता

	(न्यूनतम वेतन बैंड में कुल सकल परिलब्धियां लगभग ` 22,379/- प्रति माह होगी, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधन हो सकता है।)
न्यूनतम योग्यताएं	एसएससी/एचएससी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ रिसेप्शनिस्ट/आतिथ्य प्रबंधन में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स तथा बेहतर संप्रेषण कुशलता। ii) वांछित योग्यताएं: कंप्यूटर प्रचालन में मूलभूत ज्ञान।
आयु सीमा (दिनांक 23/03/2016 को) कम से कम 18 साल)	i) सामान्य अभ्यर्थी: 35 वर्ष (अधिकतम) ii) अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जन-जाति: 40 वर्ष (अधिकतम) iii) अन्य पिछड़ी जाति: 38 वर्ष (अधिकतम)
कार्यों का स्वरूप:	इनकमिंग कॉल लेना, आगंतुकों का अभिवादन करना तथा उनकी शंकाओं का उत्तर देना, आवश्यकतानुसार आगंतुकों को निदेश देना, प्रवेश परमिट के संबंध में सुरक्षा अनुभाग के साथ समन्वयन, आवश्यकतानुसार आगंतुकों को दिशानिर्देश देना तथा रिसेप्शन/जनसंपर्क से संबंधित अन्य कार्य।

ऊपरी आयु सीमा में छूट :

i) जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बशर्ते संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार ही किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह छूट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को इनमें से किसी के द्वारा जारी किया प्रमाणपत्र होना चाहिए।

क) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूल रूप में रहते थे (अथवा)

ख) अन्य प्राधिकारी जिन्हें जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो, उससे इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं।

ii) कुछ अन्य वर्गों यथा 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों भूतपूर्व रक्षाकर्मियों, प्रत्यावर्तियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में उपयुक्त छूट दी जा सकती है।

iii) भारत सरकार आदेशानुसार उन विभागीय अभ्यर्थियों (केंद्र सरकार के कर्मचारी) को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिन्होंने दिनांक 23/03/2016 को समान अथवा संबद्ध संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार/नियमित सेवा की है।

टिप्पणी: केवल वही जन्म तारीख स्वीकार की जाएगी जो विद्यालय छोड़ने के अथवा समतुल्य प्रमाणपत्र में इंगित होगी। इसे बदलने के लिए बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

iii) अशक्तता प्रमाणपत्र वालों के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाएं

i) केंद्र सरकार द्वारा अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित, अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों की एक मेडिकल बोर्ड गठित करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।

ii) जिन व्यक्तियों की अशक्तता अस्थायी है उनका प्रमाणपत्र पांच वर्षों की अवधि हेतु मान्य रहेगा। चिकित्सा बोर्ड को इस प्रकार के प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करनी होगी जिस मामले में अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। वे व्यक्ति जिनकी अशक्तता स्थायी है उनके

प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध दर्शाये जा सकते हैं। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन करने पर मेडिकल बोर्ड, मामले की सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए अपने निर्णय की पुनर्समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो यह उचित समझेगा।

चयन प्रक्रिया एवं चयन की पद्धति:

प्रारंभिक स्क्रीनिंग और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में पेपर लिखने का विकल्प दिया जाएगा। सभी परीक्षाएं मुंबई में आयोजित की जाएंगी।

<table>
<tr><th rowspan="2">पद कोड</th><th rowspan="2">पद</th><th colspan="2">लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)</th><th rowspan="2">कुशलता परीक्षा/ ट्रेड परीक्षा</th></tr>
<tr><th>प्रश्नपत्र - I</th><th>प्रश्नपत्र - II</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">प्रवर श्रेणी लिपिक</td><td>सामान्य अंग्रेजी (75 अंक)</td><td>सामान्य ज्ञान एवं प्राथमिक गणित (75 अंक)</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(समय : 2 घंटे)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तकनीशियन बी (रिसेप्शनिस्ट)</td><td colspan="2">संप्रेषण की कला, फ्रंट आफिस मैनेजमेंट पर सामान्य ज्ञान (समय : 1 घंटा) (अंक-100)</td><td>हां</td></tr>
</table>

आवेदन कैसे करें :

1. विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड एवं सामान्य शर्तों के लिए कृपया हमारा वेबसाइट www.barc.gov.in देखें। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट www.barcrecruit.gov.in में ऑनलाइन आवेदनों के विवरण उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 07.03.2016 से 23.03.2016 तक उपलब्ध रहेगी।

2. जो व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं वे उचित माध्यम द्वारा आवेदन करें और उन्हें लिखित परीक्षा के समय “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी:

क) सुनने की क्षमता कम होने का अर्थ है बातचीत करने की आवृत्ति रेंज में बेहतर क्षमता वाले कान में प्रतिशत से 60 डेसिबल अथवा अधिक क्षति। शारीरिक अशक्तता कम से कम 40% होना चाहिए।

ख) जिन आवेदकों की स्क्रीनिंग की गई है केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

ग) बाहर से आने वाले एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार यथा स्वीकार्य आने एवं जाने का रेल के लघुतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी का किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) दिया जाएगा। तथापि, लिखित परीक्षा हेतु आने वाले उन एससी/एसटी अभ्यर्थियों को जो केंद्र/राज्य सरकार सेवाएं, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं एवं पंचायतों में पहले से ही कार्यरत हैं और यदि लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु यात्रा करने के लिए रेल्वे छूट ले चुके हैं उन्हें यात्रा- भत्ता अनुमेय नहीं है।

घ) जिन आवेदनों में विज्ञापन में मांगी गई वांछित अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है उन्हें किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है।

च) अभ्यर्थी सही सूचनाएं भरना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी गलत सूचनाएं देंगे उन्हें लिखित परीक्षा हेतु अयोग्य कर दिया जाएगा।

छ) भापअ केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी पद को भरने अथवा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड का निर्धारण, आवेदनों को प्राप्त करने की आखिरी तिथि के अनुसार किया जाएगा।

ज) विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरंभ में मुंबई में तैनात किए जाने की संभावना है, परंतु वे भारत के किसी भी भाग में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवा हेतु जिम्मेदार हैं।

झ) विज्ञापन में दी गई अपेक्षाएं केवल पूरी कर लेने से लिखित परीक्षा आदि के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं मिल जाती है। जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाता है उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ट) उपरोक्त दर्शायी गई रिक्तियां अंतिम हैं और इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियों का भरा जाना भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगा। इन्हें नहीं भी भरा जा सकता है यदि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों में उन्हें नहीं भरे जाने का निर्णय लिया जाता है।

ठ) भारत सरकार में रोजगार हेतु एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।

ड) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और प्रवेशपत्र की प्रति डाउनलोड करें और साक्षात्कार के समय जन्म तारीख, शैक्षणिक योग्यताएं, जाति, अनुभव के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेजों की, स्वयं द्वारा साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करें। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के समय इन प्रमाण्पत्रों के बिना आते हैं उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ढ) ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 07.03.2016 से 23.03.2016 तक उपलब्ध रहेगी।

ण) भापअ केंद्र के पास किसी आवेदक की अभ्यर्थिता को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि आवश्यकता पड़े, तो भापअ केंद्र के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कोई सूचना जारी किए और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/विस्तृत/सुधार/परिवर्तन कर दे।

त) आवेदकों को आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत प्रमाणपत्रो के आधार पर ही परीक्षा में उपस्थित होने दिया जाएगा । अत: उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि बाद में यह पाया गया कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत है अथवा आवेदक पात्रता के किसी एक भी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नियुक्ति, सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही होगी ।

थ) अभ्यर्थियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे हमारा वेबसाइट www.barc.gov.in; www.barcrecruit.gov.in को लगातार देखते रहें ताकि उन्हें इस विज्ञापन से संबंधित अद्यतन जानकारी मिलती रहे।

द) अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए क्षतिपूरक समय, भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। जिन भूतपूर्व रक्षाकर्मियों ने अपने पुन:नियोजन हेतु भूतपूर्व रक्षाकर्मियों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करने के बाद नियमित आधार पर ग्रुप सी एवं डी पदों में केंद्र सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है वे भूतपूर्व रक्षाकर्मी की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

Government of India
Department of Atomic Energy
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
Personnel Division

ADVERTISEMENT NO. 2 / 2016-R-IIII

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION : 23.03.2016

SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR PERSONS WITH DISABILITIES

" GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY."

BARC invites applications for Group C Non-Gazetted posts - Upper Division Clerk, Technician – B (Receptionist) in BARC, Mumbai from the eligible candidates. The details of posts and eligibility criteria are specified below:

Post Code : DR 01	**Upper Division Clerk**
No. of Posts	2 – Orthopaedically Handicapped (OH) (vacancy identified for 1 leg or arm affected) 2 – Hearing Handicapped (HH)
Pay Band and Grade Pay	Pay Band – 1: Rs. 5200 – 20200 + Grade Pay: Rs. 2400/- DA, HRA and Transport Allowance as admissible under Central Government rules. (Total Gross Emoluments on the minimum of the Pay Band will be Rs.28000/- p.m. approximately, subject to revision under VII Pay Commission)
Minimum Qualification	(i) A degree in Arts, Science or Commerce of a recognized university or equivalent with an aggregate of 50% marks (ii) Desirable: (a) Minimum speed of 30 w.p.m in typewriting in English (b) Knowledge of Computer Application, Data Entry & Processing
Age Limit (as on 23/03/2016) Min.18 years	(i) Unreserved : 37 Years (max) (ii) SC/ST : 42 Years (max) (iii) OBC : 40 Years (max)
Nature of Duties	Putting up noting in the file to superiors in accordance with rules, regulations/guidelines and procedures. Preparing reports and data as required. Maintaining of files and assistant diary. Clerical work in Accounts, Administration and other divisions.

Post Code : DR 02	**Technician - B (Receptionist)**
No. of Posts	2 – Orthopaedically Handicapped (OH) – (vacancy identified for 1 leg affected [OL])
Pay Band and Grade Pay	Pay Band – 1: Rs.5200 – 20200 + Grade Pay Rs. 2000/- DA, HRA and Transport Allowance as admissible under Central Government rules. (Total Gross Emoluments on the minimum of the Pay Band will be Rs. 22379/- p.m. approximately, subject to revision under VII Pay Commission.)
Minimum Qualification	SSC/HSC with minimum 60% marks + one year certificate course in Receptionist/Hospitality Management with good communication skill. Desirable: Basic knowledge in computer operation.
Age Limit (as on 23/03/2016) Min.18 years	(i) Unreserved : 35 Years (max) (ii) SC/ST : 40 Years (max) (iii) OBC : 38 Years (max)
Nature of Duties	Answering of incoming calls, Receiving visitors, greeting and answering queries of visitors, giving directions to the visitors as per the requirements, co-ordination with security section with respect to entry permits and providing guidance to the visitors as required and other works related to reception/Public relations

Relaxation in Upper Age Limit

(i) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to all persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from 1st day of January 1980 to 31st day of December, 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Any person intending to avail of this relaxation of age limit shall submit a certificate from :

a) the district magistrate in the Kashmir Division within those jurisdiction he/she had ordinarily resided; (or)

b) any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu & Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st day of January,1980 to the 31st day of December,1989 .

(ii) The upper age limit is also relaxable suitably in cases of certain other categories such as Children/Family member of those died in 1984 riots, Ex-servicemen, repatriates, etc. as per extant rules.

(iii) Relaxation in Upper age limit shall be admissible to Departmental candidates (Central Government employees) who have rendered not less than 3 years continuous/regular service in the same or allied cadre as on 23.03.2016, as per Government of India rules.

Note: Only date of birth indicated in school leaving certificate or equivalent certificate will be accepted. No subsequent request for change shall be granted.

(iii) IMPORTANT REQUIREMENT OF PERSONS WITH DISABILITY CERTIFICATE

i) According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field.

ii) The Certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.

Selection Procedure & Method of Selection:

Selection will be made on the basis of initial screening, and then qualifying in the following written examination. Candidates will have the option to write the paper in either Hindi or English. All tests will be held in Mumbai.

<table>
<tr><th rowspan="2">Post Code</th><th rowspan="2">Post</th><th colspan="2">Written Test (objective type)</th><th rowspan="2">Skill test/ Trade Test</th></tr>
<tr><th>Paper I</th><th>Paper II</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Upper Division Clerk</td><td>General English (75 Marks)</td><td>General Knowledge& Elementary Arithmetic (75 Marks)</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Duration: 02 Hrs)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Technician B (Receptionist)</td><td colspan="2">Communication Skill, General awareness of Front office Management
(Duration : 01 Hr) (100 Marks)</td><td>Yes</td></tr>
</table>

HOW TO APPLY :

1.	For detailed advertisement, eligibility criteria and general conditions please visit our website at www.barc.gov.in. Applications will be accepted Online only. For online application please visit our website at www.barcrecruit.gov.in. The facility of online application will be available from 07.03.2016 to 23.03.2016.
2.	Persons working under the Central/State government, Public Sector Undertakings should submit their applications through proper channel with "NO OBJECTION CERTIFICATE", at the time of written examination.

NOTE :

a. Hearing Impairment means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Physical deformity should not be less than 40 percentage.

b. Only screened-in applicants will be called for written test.

c. SC/ST outstation candidates will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as admissible under the Rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the Concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination.

d. Applications, which are not in conformity with the requirements, will be rejected at any stage.

e. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for written exam.

f. BARC reserves the right to fill up the post or even to cancel the whole process of recruitment without assigning any reasons. The eligibility criteria as prescribed in the advertisement will be determined with reference to the last date for receipt of application.

g. Candidates selected against this advertisement are likely to be posted initially at Mumbai, but are liable to serve in any part of India and in any constituent units of the Department of Atomic Energy in India.

h. Mere fulfilling the requirements as laid down in the advertisement does not guarantee the candidates being called for written examination etc. No correspondence will be entertained from the candidates not considered for written examination.

i. The vacancies shown above are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued by Government of India from time to time.

j. SC/ST/OBC certificates should be as per the prescribed format, for employment in Government of India.

k. The candidates may download a copy of the online application and admit card and submit the same alongwith self attested copies of all relevant documents in support of date of birth, education qualification, caste, experience at the time of written test. Candidates who report for the written test without any of the supporting documents will not be allowed to appear in the written test.

l. The facility of online application will be opened w.e.f. 07.03.2016 upto 23.03.2016.

m. BARC reserves the right to reject or accept the candidature of any applicant at any stage. BARC reserves the right to cancel/restrict/enlarge/modify/alter the recruitment process, if need arises, without issuing any further notice or assigning any reason therefore.

n. The applicant would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by them in their application form and verification of documents produced by them. They are therefore advised to ensure that they fulfill all eligibility condition before applying. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfill any of the eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained. Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfillment of all eligibility conditions.

o. The applicants are requested to visit constantly our website www.barc.gov.in.; www.barcrecruit.gov.in for current information related to this advertisement.

p. Compensatory time for persons with disabilities shall be provided as per the extant orders of Government of India. Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Central Government in Group C & D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under ex-servicemen category.

RECORDS OF THE CANDIDATES NOT SELECTED SHALL NOT BE PRESERVED BEYOND 06 MONTHS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF SELECT LIST.

CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION